पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3668/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक 7/06/2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 04.06.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. आर.पी. दास	–	सदस्य
3.	प्रो. ए.के. पति	–	सदस्य
4.	प्रो. विभूति राय	–	सदस्य
5.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
6.	डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
7.	डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	–	सदस्य
8.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
9.	डॉ. अरविन्द गिरोलकर	–	सदस्य
10.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
12.	डॉ. उज्ज्वल पाटनी	–	सदस्य
13.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
14.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
15.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
16.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
17.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	–	सदस्य
18.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय कमांक–1.

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 29.04.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.04.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

विषय कमांक–2.

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.04.2011 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.04.2011 के कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

विषय कमांक--3.

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–4.

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के शुल्कों में आंशिक वृद्धि की गई है जो सत्र 2010–11 की परीक्षाओं से लागू कर दी गई है। इसकी सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के शुल्कों में आंशिक वृद्धि के लिए अधिसूचित अधिसूचना कमांक 425/विकास/2011 दिनांक 19.05.2011 की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–5.

सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को संविदा पर नियुक्त करने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ–3–38/2010/38–1/1308 दिनांक 30.03.2011 को अंगीकृत करने पर विचार करना।

निर्णय : **सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को संविदा पर नियुक्त करने संबंधी उच्च शिक्षा विभाग,छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक एफ–3–38/2010/38–1/1308 दिनांक 30.03.2011 को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव पर कार्यपरिषद के समक्ष यह जानकारी लायी गई कि इस संबंध में शासन से संशोधित आदेश जारी होना है, अतः निर्णय लिया गया कि जब तक शासन से संशोधित आदेश जारी होने तक प्रकरण स्थगित रखा जावे।**

विषय कमांक–6.

एम.बी.बी.एस. अंतिम सर्जरी में, डॉ. प्रदीप पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तावित विनियम क्रमांक 132 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **एम.बी.बी.एस. अंतिम सर्जरी में डॉ.प्रदीप पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत विनियम कमांक 132 का अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–7.

यांत्रिकी शाखा के 3 कर्मचारियों श्री उमापति रस्तोगी, श्री जे.आर. ठाकुर, श्री राजेश सलोकी के नाम संधारित इम्प्रेस्ट राशि 3500/– के स्थान पर प्रत्येक को रू. 10,000/– स्वीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **प्रकरण पर सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक–8.

अनुदान प्रकोष्ठ की इम्प्रेस्ट की राशि रू. 1000/– से बढ़ाकर रू. 5000/– किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **प्रकरण पर सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची:

कमांक–1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.06.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे महाविद्यालय जहां सामूहिक नकल एवं अनियमितता की शिकायत है, उसको सम्बद्धता की नियमितता पर पुनः विचार किया जावे तथा ऐसे महाविद्यालयों को नए विषय की सम्बद्धता एवं परीक्षा केन्द्र प्रदान न किया जाय।**

कमांक–2. श्री एस.आर. विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक, को लेखाधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु रू. 10,000/– प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री एस.आर.विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक, को लेखा अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु रुपए 10,000/– प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

कमांक–3. ग्रंथागार पाठ्य सामाग्रीयों के Digitization Works के लिये प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **ग्रंथागार पाठ्य सामग्रियों के Digitization Works के लिए रु. 10,000,00.00 (रु. दस लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशासन के पुराने रिकार्डस (जिन्हें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है) को भी Digitization किया जाय।**

कमांक–4. वार्षिक परीक्षा 2011 के अंतर्गत एम.कॉम. पूर्व/अंतिम, प्रश्नपत्र 'आयकर एवं कर नियोजन' निर्धारित परीक्षा तिथि 30.04.11 की परीक्षा शास. महाविद्यालय, साजा द्वारा दिनांक 29.04.11 को आयोजित करने के फलस्वरूप संबंधित परीक्षा निरस्त करने के संबंध में।

निर्णय : **पं.देवीप्रसाद चौबे शास. महाविद्यालय, साजा में वार्षिक परीक्षा 2011 के अंतर्गत एम. कॉम. पूर्व/अंतिम, प्रश्नपत्र आयकर एवं कर नियोजन, कूट संख्या यू/1523**

निर्धारित तिथि से पूर्व परीक्षा आयोजित करने के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि इस महाविद्यालय के प्राचार्य एवं वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, डॉ. आई.पी.दिनकर एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष श्रीमती सरोजनी भारकुल को तीन वर्ष के लिए परीक्षा कार्यों से वंचित करते हुए उन्हें परीक्षा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जावे।

इस प्रकार के कृत्यों से विश्वविद्यालय की छवि खराब होने के साथ–साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ है तथा छात्रों को असुविधा हुई। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों के संबंध में क्षतिपूर्ति का आकलन कर विस्तृत जानकारी आगामी कार्यवाही हेतु उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को दी जावे।

विषय–5 संशोधित अध्यादेश क्रमांक 170 पर विचार करना।

निर्णयः **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति से अध्ययन–अध्यापन एवं परीक्षा आयोजित करने संबंधी संशोधित अध्यादेश कमांक 170 का अनुमोदन किया गया।**

कमांक–6. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई को इलेक्ट्रानिकी विषय में शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई को इलेक्ट्रानिकी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई।**

कमांक–7. सत्र 2011–12 के परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2011–12 की परीक्षा हेतु विभिन्न मदों के लिए प्रस्तावित शुल्क वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :**

			अनुमोदित शुल्क
1.	अंकसूची शुल्क	–	रू. 40
2.	छात्र कल्याण शुल्क	–	रू. 20
3.	स्थाई निधि शुल्क	–	रू. 10
4.	बिल्डिंग, फर्नीचर शुल्क	–	रू. 20
5.	फिजिकल वेलफेयर शुल्क	–	रू. 50
6.	केन्द्र शुल्क	–	रू. 60
7.	ग्रंथालय शुल्क	–	रू. 30
8.	पंजीयन शुल्क	–	रू. 70
9.	अनुमति शुल्क	–	रू. 170
10.	परीक्षा विकास शुल्क	–	रू. 30

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार देय अन्य शुल्क निम्नानुसार अनुमोदित है :–

		अनुमोदित शुल्क	
1.	अग्रेषण शुल्क	– नियमित	रू. 30
		– अमहा./भू.पू./पूरक	रू. 30

अध

2. लघुशोध प्रबंध / प्रोजेक्ट (अनि. विषय)		
एम.ए. / एम.एस–सी. / एम.कॉम.	–	रू. 200
एम.एड.	–	रू. 300
डिप्लोमा	–	रू. 200
एम.लिब / एमपीएड / एम.फिल.	–	रू. 300
3. अतिरिक्त विषय (पर्यावरण अध्ययन)	–	रू. 150
4. अप्रवासन शुल्क–छ.ग. के बाहर के बोर्ड (Immigration) अथवा वि.वि. से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों के लिए	–	रू. 300
विदेशी छात्रों के लिए	–	रू. 300
5. केंद्र परिवर्तन शुल्क – लिखित	–	रू. 500
– प्रायोगिक	–	रू. 250
6. विषय / प्रश्नपत्र परिवर्तन शुल्क	–	रू. 100
7. संकाय परिवर्तन शुल्क	–	रू. 100
8. डुप्लीकेट प्रवेश पत्र शुल्क	–	रू. 30
9. विवाहोपरांत नाम / उपनाम शुल्क (केवल महिलाओं के लिए)	–	रू. 150
10. त्रुटि सुधार शुल्क	–	रू. 100
11. श्रेणी सुधार शुल्क निर्धारित शुल्क से	–	दुगुना
12. उपाधि शुल्क – सामान्य	–	रू. 250
– अर्जेंट	–	रू. 500
13. प्रोव्हिजनल उपाधि शुल्क – सामान्य	–	रू. 200
– अर्जेंट	–	रू. 250
14. माइग्रेशन शुल्क – सामान्य	–	रू. 200
– अर्जेंट	–	रू. 250
– डुप्लीकेट	–	रू. 500
15. नामांकन शुल्क	–	रू. 100
16. डुप्लीकेट अंकसूची शुल्क – सामान्य	–	रू. 100
– अर्जेंट	–	रू. 150
17. डुप्लीकेट उपाधि शुल्क	–	रू. 600
18. पात्रता शुल्क – बिना विलंब	–	रू. 200
– विलंब के साथ	–	रू. 400
19. अंकसूची / प्रमाण पत्र सत्यापन शुल्क –		
– सामान्य	–	रू. 100
– विदेश के लिए	– रू. 100+400डाक खर्च सहित	रू. 500

अन्य शुल्क यथावत् रहेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. वार्षिक परीक्षा 2011 एवं सेमेस्टर परीक्षा के गोपनीय मुद्रण संबंधी प्रस्तुत देयक के भुगतान की अनुमति प्रदान की गई।
2. जय हिन्द महाविद्यालय,महासमुन्द में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत लिफाफा खोला गया। अनुशंसा में कोई भी आवेदक उपस्थित नहीं होने के

कारण पद का एक माह के अंतर्गत पुनः विज्ञापित करने की अनुशंसा की गई जिसका अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय के विकास एवं अन्य योजनाओं पर इस क्षेत्र के उद्योगपतियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में उद्योगपतियों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित कर इस विषय में आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में इस कार्य को मूर्तरूप देने हेतु डॉ.आर.पी.दास, संचालक, प्रबंधन संस्थान एवं सदस्य कार्यपरिषद को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 3669/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक 7/06/2011

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)